न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 01/2025
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/132

प्रार्थी :–
प्रेम सिंह पुत्र स्व. श्री हिम्मत सिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी खाराबेरा पुरोहितान्,तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।
2. श्रीमती शांती कंवर पत्नी स्वरूप सिंह राजपुरोहित के कायम मुकाम :–
   2/1. स्वरूप सिंह राजपुरोहित पुत्र स्व0 हिम्मत सिंह
   2/2. विक्रम सिंह पुत्र स्वरूप सिंह राजपुरोहित
   2/3. जितेन्द्र सिंह पुत्र स्वरूप सिंह राजपुरोहित
   जातियान राजपुरोहित, निवासीगण खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पंचायत पट्टा संख्या 30 दिनांक 13.10.2009, मिसल संख्या 477/2008–09 जो ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री करण सिंह (अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 की ओर से)।

–: आदेश :– **दिनांक :– 25.02.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत, ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर द्वारा जारी बुक संख्या 10 पट्टा संख्या 30 दिनांक 13.10.2009, मिसल संख्या 477/2008–09 को निरस्त करने हेतु दिनांक 03.01.2025 को इस न्यायालय में श्री प्रेमसिंह ने पेश की है।
2. संक्षेप में निगरानी के तथ्य प्रार्थी अनुसार इस प्रकार है कि ग्राम पचांयत खाराबेरा पुरोहितान ने पट्टा [illegible] 30 दिनांक 13.10.2009, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 'ख' के तहत, नियमों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उल्लंघन करते हुए जारी किया है जिसमें नियमों में दी गई प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। आम सभा नहीं बुलाई, सुनवाई का अवसर नहीं दिया। जो पट्टा जारी किया है, वह दोनों भाई स्वरूपसिंह व प्रेमसिंह की संयुक्त पैतृक जायदाद है, जिसमें मौके पर आने–जाने का रास्ता है, जिसमें अप्रार्थी स्वर्गीय शांति कंवर के नाम नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जिससे प्रार्थी को अपने मकान में आने जाने में परेशानी हो रही है। अतः पट्टा निरस्त किया जावे।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर ग्राम पंचायत से विवादास्पद पट्टे से संबंधित अभिलेख मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 की ओर से श्री करण सिंह एडवोकेट ने अधिकार पत्र दिनांक 17.01.2025 को पेश किया।

4. उभयपक्ष की बहस दिनांक 12.02.2025 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 25.02.2025 को आदेश हेतु रखी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री करण सिंह ने आपसी विचार विमर्श कर कथन किया कि ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख न्यायालय में प्राप्त हो गया है। अभिलेख अनुसार मेरिट पर प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया जावे।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया। कानूनी प्रावधानों से अवगत हुए। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी की पत्नी पुष्पाकंवर व अप्रार्थी स्वर्गीय शांति कंवर के नाम दो पट्टे जारी किए है, जिसका विवरण इस प्रकार है :–

(अ) श्रीमती शांति कंवर पत्नी स्वरूप सिंह – मिसल संख्या 477/2008–09, बुक संख्या 10 पट्टा संख्या 30 यह पट्टा ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 07 दिनांक 25.12.2008 के सन्दर्भ में दिनांक 13.10.2009 को जारी किया है, जिसका क्षेत्रफल 162.40972 वर्ग गज पटट्े की पुश्त पर दर्ज है।

उक्त के अतिरिक्त पट्टे की पुश्त पर चारों दिशाओं के पड़ौस भी अंकित है जिसमें रास्तों का उल्लेख किया हुआ है। उक्त के दक्षिण में पुष्पा कंवर पत्नी प्रेमसिंह का पड़ौस दर्शाया है।

(ब) पुष्पा कंवर पत्नी प्रेमसिंह – मिसल संख्या 476/2008–09, बुक संख्या 10, पट्टा संख्या 29 यह पट्टा ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:23 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 25.12.2008 के संदर्भ में दिनांक 13.10.2009 को ही जारी हुआ है। जिसका क्षेत्रफल 438.05555 वर्गगज पट्टे की पुश्त पर अंकित है तथा उत्तर में शांति कंवर (पट्टा संख्या 30) को पड़ौसी बताया है। दक्षिण में गिरधारी सिंह, पूर्व में जोगसिंह, पश्चिम में बिहारीलाल के पड़ौस अंकित है।

उक्त दोनों पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम–157 'ख' के तहत प्ररूप–23 (नियम–167(1)) में 200 रूपये की राशि लेकर जारी किए गये है।

6. हमने उक्त दोनों मिसलों पर उपलब्ध अभिलेख तथा ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 25.7.2008 से 25.12.2008 तक में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 25.07.2008, संकल्प संख्या 2 दिनांक 10.8.2008 एवं संकल्प संख्या 07 दिनांक 25.12.2008 का अवलोकन किया। दिनांक 25.07.2008 को 551 मिसले पट्टो हेतु पेश हुई। दिनांक 10.8.2008 को मिसल संख्या 1 से 551 आबादी भूमि में पट्टा जारी करने बाबत् पेश हुई, जिसमें मौका निरीक्षण कमेटी प्राप्त रिपोर्ट की पुष्टि की गई तथा एक माह का नोटिस जारी कर आपत्तियाँ आमंत्रित करने का निर्णय हुआ। दिनांक 25.12.2008 को प्रस्ताव संख्या 7 अनुसार 1 से 551 मिसले आबादी भूमि में पट्टे जारी करने की पेश होने का जिक्र है तथा कोई आपत्तियाँ एक माह में प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थीयों का पुराना कब्जा मानते हुए नियम – 157ख के तहत स्थायी निर्णय लेने का उल्लेख है। उक्त निर्णय के पश्चात दिनांक 13.10.2009 को राशि वसूल कर सैकड़ो की संख्या में एक ही दिन में पट्टे जारी किए गए है। अतः प्रार्थी का यह कथन सही नहीं है कि ग्राम पंचायत में कार्यवाही ही नहीं हुई। इस बाबत् आम सभा में सुनवाई का प्रावधान नहीं है। सिर्फ ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय लेने का प्रावधान है।

7. अपीलाधीन पट्टे बाबत् शांति कंवर ने 162.40972 वर्गगज पर पड़ौस दर्शाकर पुराना कब्जा होने के आधार पर पट्टा मांगा है। रसीद संख्या 77 बुक 05 दिनांक 10.07.2008 से आवेदन शुल्क जमा होना अंकित किया है। वार्ड पंच ने पुराना कब्जा की ताइद की है। मौका निरीक्षण कमेटी ने प्रकरण नियमन योग्य पाया है, जिसमें बिन्दु संख्या 01 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रामवासियों द्वारा उपयोग की जा रही आने–जाने की सुविधाए पट्टा देने से प्रभावित नहीं होगी तथा बिन्दु संख्या 02 में यह भी उल्लेख है कि अन्य व्यक्तियों [illegible] अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:23 IST
Reason: SelfAttested

तथा अन्य कोई आपत्ति नहीं की। दिनांक 10.8.2008 को सार्वजनिक नोटिस जारी कर पट्टा जारी करने बाबत् आपत्तियाँ मांगी गई, जिसमें भूखण्ड के पड़ौस विस्तृत रूप से अंकित किए है तथा नोटिस ग्राम पंचायत, आवेदित भूखण्ड पर तथा गंवाई चौक पर चस्पा किया गया है, जिस पर दो–दो मौतबिरान के हस्ताक्षर है। उक्त सार्वजनिक आपत्तियाँ आमंत्रित करने के 4 माह बाद दिनांक 25.12.2008 को प्रस्ताव संख्या 07 से पट्टे जारी करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रार्थी स्वयं की पत्नी पुष्पाकंवर के नाम पूर्व में दिए गए विस्तृत विवरण अनुसार 438.05555 वर्गगज का पट्टा संख्या 29 मिसल संख्या 476 जारी किया गया है। अतः सार्वजनिक नोटिस नहीं देने का कथन भी असत्य है।

8. प्रार्थी प्रेमसिंह व अप्रार्थीया शांतिकंवर के पति स्वरूपसिंह सगे भाई है तथा श्री हिम्मतसिंह जी के पुत्र है। पुराने कब्जे के आधार पर दोनों को अलग–अलग पट्टे जारी करना प्रतीत होता है तथा प्रार्थी का इस निगरानी का मुख्य आधार यह है कि पट्टा जारी करने में नियमों की पालना नहीं की गई है तथा सार्वजनिक आपत्तियाँ नहीं मांगी तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा प्रार्थी को अपने घर आने–जाने में रास्ते की परेशानी है। प्रार्थी के उक्त आधार पंचायत द्वारा पट्टे जारी करने में अपनाई गई उपरोक्त विवरण की प्रक्रिया अनुसार मानने योग्य नहीं है। पट्टे दिनांक 13.10.2009 को अर्थात् 15 वर्ष पूर्व जारी हुए है। पट्टों में रास्तों बाबत् विस्तृत उल्लेख किया हुआ है। कमेटी रिपोर्ट ने सुखाचारों में किसी प्रकार की अड़चन नहीं होना अंकित किया है। अगर 15 वर्ष बाद प्रार्थी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसका निराकरण, इस निगरानी के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 02 के पट्टे को निरस्त करके नहीं किया जा सकता तथा इस आधार पर यह निगरानी पोषणीय नहीं है। रास्ते की समस्या बाबत् उपचार अन्यत्र विधि में उपलब्ध है।

9. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रार्थी की पत्नी पुष्पाकंवर के नाम मिसल संख्या 476/2008–09 पुस्तक संख्या 10, पट्टा नम्बर 29, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम–157 ख में विहित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक का जारी किया गया है तथा नियमितीकरण शुल्क मात्र 200 रूपये वसूल किया गया है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति लूणी इस तथ्य की जांच कर विधि अनुसार कार्यवाही करे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:23 IST
Reason: SelfAttested

10. उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार करने योग्य नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी बलहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।
11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान् को लौटाया जावे।
12. निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावें।
13. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:51:23 IST
Reason: SelfAttested